प्रेषक,

निदेशक,(उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1–कुल सचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास/ 15656–57 /2018–19 दिनांक 8-01-2019

विषय:–पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–भा0स057/सत्तर–3–2018 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या–क्यू–18011/75–2018–सी0पी0ए0 दिनांक 27 नवम्बर 2018 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2018 के O.A नं0 452/2018 दिनांक 23 जुलाई 2018 द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) ऐक्ट 1986 के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में निधारित पर्यावरण माप दण्ड के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में आप से अनुरोध है कि मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH के दिनांक 23 जुलाई 2018 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शैक्षिक संस्थाओं को इसका अनुपालन कराये जाने हेतु आप अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने कर कष्ट करे एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को सूचना प्रेषित की जा सके। प्रकरण मा0 न्यायालय से आच्छादित है। अतः इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत

भवदीय,

डा0(दिलीप कपूर),
संयुक्त निदेशक(उ0शि0)
कृते–शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0,प्रयागराज।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

समयवद्ध/सर्वोच्च प्राथमिकता

पृष्ठांकन संख्या : सम्बद्धता/2019/ 046 दिनांक : 10/01/2019

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु0 प्रेषित–

1. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर उपरोक्त सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालय के लागिन में अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव